

28³/₂₂

पत्रावली पेश हुई वादी व वकील वादी अनुपस्थित।
कार-कार अपवाज दिलवायी गयी। अपवाज दिलवायी
जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः वादी का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत फेरवी में
स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली जिला अदालत (दोष)
नम्बर 10 का दोष पत्र दाखिल है।



(राजेंद्र कुमार)
खण्ड अधिकारी
नामकाथाना (सीकर)